न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

बी.पी. 1273/2026

दरियापुर थाना कांड संख्या–443/2026

अंतर्गत धारा 310(1) (2) बी.एन.एस.

इनायत अली.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता–श्री बिरेश कुमार चौबे

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

22.07.2026 काराधीन अभियुक्त मो0 फिरोज की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन में उभयपक्षों को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक 122.05.2026 को अपने साथी आनंद कुमार, संदीप कुमार, मो0 अफरोज के साथ अपने स्वीप्ट गाड़ी से पटना से घर के लिए चले। दरियापुर बाजरार से डेढ़–दो किलोमीटर आगे बढ़े तो 4 व्यक्ति इनोवा गाड़ी से ओवरटेक कर उसका गाड़ी रोककर बोला कि हम सी.बी.आई एवं डी.आई.यू. से हैं। हमलोगों को जबर्दस्ती गाड़ी उतारकर उसके साथी आनंद कुमार का दो मोबाइल, सोने का अंगूठी, चैन, लॉकेट, बाली, बच्चे का ढेलना मो0 अफरोज का एक हजार रुपये, ए.टी.एम. कार्ड, उसका चैन, एक हजार रुपये, अन्रू सोने चांदी का जेवर आदि छीन लिया।3

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त का दो मामले का आपराधिक इतिहास है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है। उसके पास से कुछ बरामद नहीं है। घ ाटना का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। अनुसंधान के कम में आवेदक का नाम पुलिस द्वारा मामले में लाया गया है। आवेदक दिनांक 26.05.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक उचित जमानतदार देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

बी.पी. 1273/2026

दरियापुर थाना कांड संख्या–443/2026

अंतर्गत धारा 310(1) (2) बी.एन.एस.

इनायत अली.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि कांड दैनिकी के कंडिका 34,35 में अपने स्वीकारोक्ति बयान में अभियुक्त फिरोज एवं आवेदक इनायत अली ने संगठित गिरोह बनाकरके अपराध कारित करने का पूरा विवरण दिया है। लूटे गये जेवर को बेच देने की बात कहा है। आवेदक का दो मामले का आपराधिक इतिहास है। मामला जमानत योग्य नहीं है।

कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक पर सह अभियुक्तों के साथ मिलकरके संगठित गिरोह बनाकरके सी.बी.आई. एवं डी.आई.यू. के अधिकारी बनकरके सूचक एवं उसके साथियों को कब्जे में लेकर लूट का गंभीर अपराध करने का आरोप है। कांड दैनिकी के कंडिका 29 के अनुसार आवेदक का दो मामले का आपराधिक इतिहास है। मामला अनुसंधान में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं आरोप की गंभीरता को देखते हुए मामला जमानत योग्य नहीं पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाता

लेखापित

ANURAG KUMAR TRIPATHI
Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.22 12:25:04 +0530

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

31.07.2026 विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दिया गया कि दिनांक 22.07.2026 के आदेश के प्रथम पंक्ति में आवेदक इनायत अली की जगह मो0 फिरोज अंकित हो गया है। इसे सुधारा जाए।

विद्वान अधिवक्ता के आवेदन को स्वीकृत किया गया और मो0 फिरोज की जगह इनायत अली पढ़ा जाए।

ANURAG KUMAR TRIPATHI
Digitally signed by ANURAG KUMAR TRIPATHI
Date: 2026.07.31 16:54:38 +0000

अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।